16/20

वादी सूरजभान को प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री निवास शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता। वे वाद वापस लेना चाहता है। वादी की पहचान श्री निवास शर्मा एड. ने की। वादी अपने वाद को नहीं चलाना चाहता इसलिए वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध सूचना होकर नस्तर के बाद से पेश शामिल है। दफ्तर है।

सूरजभान

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner